

## निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला सार्वजनिक सूचना

हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश।

यह सूचना, जनसाधारण एवं हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी के लिए है कि हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 की अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए उक्त नियम 2011 के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने हेतु लिखा गया था। जिसके लिए विभाग द्वारा बच्चों के ऑन-लाईन माध्यम से दाखिले हेतु दिनांक 15.04.2025 से उज्जवल पोर्टल खोला जा चुका है। जिसकी तिथि अब दिनांक 25.04.2025 से बढ़ाकर दिनांक 30.04.2025 (मध्यरात्रि) तक कर दी गई है।

हरियाणा में चल रहे सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विद्यालयों में कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षा में उपलब्ध सीटों की जो जानकारी आप द्वारा 25% सीट डिकलेरेशन में दिखाई गई या नहीं दिखाई गई है। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को उज्जवल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार करना होगा। जिन अभिभावकों के घर/निवास स्थान से एक कि०मी० के दायरे में जितने भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल होंगे, में ऑनलाईन पोर्टल पर फार्म भर सकते हैं। जिस मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय के पास 25% सीटों से अधिक आनलाईन दाखिले फार्म प्राप्त होंगे तो जिला स्तरीय कमेटी/अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रा निकालना सुनिश्चित करेंगे तथा हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में समय-2 पर सशोधित नियम की सभी धाराओं को मानने के लिए बाध्य होंगे। इसके अतिरिक्त अभिभावकों बच्चों के प्रवेश से सम्बन्धित दस्तावेज सम्बन्धित विद्यालयों में दाखिले के समय जमा करवाने के लिये बाध्य होंगे।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निम्न कैटेगरी के बालकों का प्रवेश देने हेतु हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 2 (1) (एफ) के निम्नानुसार है :-

- हरियाणा सरकार द्वारा जारी तथा अनुमोदित ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से 'गरीबी रेखा से नीचे की नवीनतम सूची के अधीन आने वाले परिवार का बालक।
- अनाथ।
- एच.आई.वी. प्रभावित बालक।
- विशेष जरूरत वाला बालक।
- युद्ध विधवा का बालक।

उपरोक्त अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की कुल सीटों का कम से कम 5% SC, 4 % BC(A), 2.5 % BC(B) कैटेगरी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 504 दिनांक 17.12.2021 तथा समय-समय पर जारी हिदायतों का भी अनुसरण करना अनिवार्य है।

बालकों का प्रवेश देने की समय-सारणी निम्नानुसार है:-

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| RTE Act 2009 की धारा 12(1) (सी) के पात्र लाभार्थियों हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि | 15.04.2025 से 30.04.2025 (मध्यरात्रि) तक |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

अन्तिम तिथि उपरान्त सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि Final Submit Report के साथ सभी सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की प्रति सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाये। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जमा कराये गये दस्तावेजों की पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करेंगे। सत्यापन करने की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सत्यापन प्रक्रिया के उपरान्त जिन आवेदनो की पुष्टि या जांच सही पाई जायेगी उन आवेदनो की सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त Randomization/Lottery प्रक्रिया से आवेदकों को विद्यालय अलॉट कर दिये जायेंगे। किसी भी प्रकार के लिटिगेशन बारे सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेवार होगी। जिला स्तरीय कमेटी सम्बन्धित खण्ड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निर्णय लेगी। उपरोक्त पुष्टि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम हिदायतों/नियमों के अनुसार की जायेगी।

नोट:-1. जो स्कूल की सबसे पहली कक्षा होगी उसी कक्षा में ही आनलाईन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

2. जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में बच्चों वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 से पहले से ही पढ़ रहे हैं वे सभी स्कूल अगली कक्षा में उन विद्यार्थियों को अपग्रेड करने के लिये बाध्य होंगे।

नोट:- जिन अभिभावकों द्वारा दाखिला फार्म दिनांक 19.04.2025 तक अप्लाई किया गया है, को उक्त दिशा-निर्देशों अनुसार फार्म में संशोधन करते हुए पुनः जमा (Submit) करना अनिवार्य है। अन्यथा दाखिला फार्म पोर्टल पर रद्द माना जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <https://harprathamik.gov.in> पर Latest News Section में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हैल्पलाइन न० 0172-5049801 (प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे सभी कार्यदिवसों पर) सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता०  
महानिदेशक मौलिक शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला।